

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**

प्रेजसीन अधिकारी-

परशुराम धानका  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

09 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019

08.03.2019

16.09.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक .....प्राथी

बनाम

- 1-एफ.बी.ओ. श्री फारुख मोहम्मद पुत्र श्री कमरुद्दीन उम्र 34 साल जाति मुसलमान निवासी  
गा0 रघुनाथपुरा खुर्द पोस्ट मोहम्मदागढ़ तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स फारुख किराणा स्टोर  
बस स्टैंड पलेई तह. उनियारा जिला टोंक राज.
- 2-मैसर्स फारुख किराणा स्टोर बस स्टैंड पलेई तह. उनियारा जिला टोंक राज.  
.....अप्रार्थिगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की  
उप धारा (iv), (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार उप.।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थिगण उप.।


:-निर्णय:-

दिनांक 16.09.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 23.10.2018 को समय 02:45 पीएम पर मैसर्स फारुख किराणा स्टोर बस स्टैंड पलेई  
तह. उनियारा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री फारुख मोहम्मद पुत्र श्री कमरुद्दीन  
मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री फारुख मोहम्मद ने स्वयं  
को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर  
खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया  
कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में स्टील की टंकी में लगभग 10-12 किलोग्राम  
सरसों तेल (खुला) रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने  
का अन्देशा हुआ तो श्री फारुख मोहम्मद को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर  
एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. श्री फारुख मोहम्मद व गवाहान के हस्ताक्षर  
करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते  
सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सरसों तेल (खुला) वास्ते मानक स्तर की जाँच  
करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, कुल 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद

रुपयें प्रसीद प्राप्त की।



1992

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों तेल (खुला) को अलग-अलग चार साफ व सूखी कांच की शीशियों में प्रत्येक में 400-400 ग्राम भरकर, शीशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाइट बन्द किया, एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1965 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1965 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोक़े पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौक़े पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3020 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1694/एक्ट/2018/381 दिनांक 15.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क़य किया गया सरसों तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विक़य प्रतिषेध एवं निर्बंधन) नं. 2.3.14.(15)(1)(b) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 30.05.2019 को श्री अशोक कासलीवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस की एवं बहस के दौरान जुर्म स्वीकार करते हुए अप्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसों तेल (खुला) का विक़य कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसों तेल (खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक



कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) व (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानका)  
न्याय ~~अतिरिक्त~~ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0